बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 382260 पटना, दिनांक:- 02/08/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(प्रोत्साहन)-102-58/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु ग्रामीण आवास कर्मियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संपूर्ण राज्य में लागू है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक राज्य में कुल 35 लाख गृहविहीन परिवारों का आवास निर्माण कराया जाना है । वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 11.76 लाख के विरूद्ध 7.60 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, 6.41 लाख लाभुकों को प्रथम किश्त की विमुक्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान तिथि तक 50 हजार लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है । लक्ष्य के विरूद्ध अभी 4.16 लाख आवासों की स्वीकृति दिया जाना शेष है । दिसम्बर 2018 तक सभी 11.76 लाख आवासों को पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनान्तर्गत आवास की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर आवास को पूर्ण किया जाना है । आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है ।

3. उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लाभुकों द्वारा एक निश्चित समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण कराने के उद्देश्य से योजना कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मियों को लाभुकों को प्रेरित करने के लिए सघन क्षेत्रीय भ्रमण व निरीक्षण से स्वीकृत आवासों की पूर्णता में प्रगति लाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने संबंधी प्रस्ताव में दिनांक 31.07.2018 को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा मद संख्या-15 में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

4. योजना से सम्बद्ध कर्मियों को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभुकों का आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए निम्न रूप से प्रोत्साहन राशि अनुमान्य होगा :-

क्र0 सं0	ग्रामीण आवास कर्मी का पद	अनुमान्य प्रोत्साहन राशि प्रति आवास (स्वीकृति के 4 माह के अन्दर आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने की स्थिति में)	अनुमान्य प्रोत्साहन राशि प्रति आवास (स्वीकृति के 4 माह के बाद किन्तु 6 माह के अन्दर आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने की स्थिति में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1	ग्रामीण आवास सहायक	600 रूपये	300 रूपये
2	ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक	90 रूपये	45 रूपये
3	लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)	20 रूपये	10 रूपये
4	कार्यपालक सहायक	20 रूपये	10 रूपये
	कुल :-	**730 रूपये**	**365 रूपये**

5. पूर्व से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता के आलोक में ऐसे आवास जो कि दिनांक 27.07.18 के पूर्व से स्वीकृत है परंतु प्रोत्साहन राशि हेतु निर्धारित आवास पूर्णता की अवधि को पार करने के पश्चात् भी निमार्णाधीन हैं, उन्हे दो माह के अन्दर पूर्ण कराने की स्थिति में स्तम्भ(घ) के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगा ।

6. योजना क्रियान्वयन में और प्रगति लाने हेतु निम्न कार्रवाई भी की जायेगी :-

(i). आवास की स्वीकृति के छः माह के अंदर आवास का निर्माण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवास कर्मियों को देय प्रोत्साहन राशि में से प्रति आवास प्रत्येक 15 दिनों के विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी । यह संबंधित कर्मी के संविदा अवधि विस्तार के क्रम में भी ध्यान में रखा जायेगा ।

(ii). प्रखण्ड को लक्ष्य प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर आवास की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में प्रति आवास प्रत्येक 15 दिनों के विलम्ब के लिए देय प्रोत्साहन राशि (100 प्रतिशत) में से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी । यह संबंधित कर्मी के संविदा अवधि विस्तार के क्रम में भी ध्यान में रखा जायेगा ।

7. ग्रामीण आवास कर्मियों द्वारा प्रोत्साहन हेतु निर्धारित अवधि में आवास निर्माण पूर्ण किये जाने संबंधी प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक रूप से क्रमशः 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, 31 मार्च एवं 30 जून के आधार पर की जायेगी तथा प्रगति के अनुरूप आवास कर्मियों को देय प्रोत्साहन की राशि संबंधित कर्मियों के बैंक खाता में अंतरित कर दी जायेगी ।

8. ग्रामीण आवास कर्मियों को प्रोत्साहन राशि से संबंधित व्यय का वहन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रशासनिक मद की राशि से मार्गदर्शिका की कंडिका-3.3.1 की उप कंडिका-(क), (ग) एवं (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में सभी संबंधितों को अवगत कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

2/8

(कँवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 382260 पटना, दिनांक 02/08/18

प्रतिलिपि - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ निधि प्रबंधक/ प्रभारी पदाधिकारी, बी0आर0डी0एस0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 382260 पटना, दिनांक 02/08/18

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 382260 पटना, दिनांक 02/08/18

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

2/8